सोनभद्र : आदिवासियों की 400 बीघा भूमि दूसरों के नाम पर दर्ज

दुद्धी तहसील में 80 के दशक में हुए सर्वे के दौरान वन कर्मियों की मिलीभगत से खेल

संवाद न्यूज एजेंसी

सोनभद्र। दुद्धी तहसील क्षेत्र में 80 के दशक में अपनाई गई सर्वे प्रक्रिया के दौरान कई गांवों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी उजागर हुई है। जांच में पता चला है कि तत्कालीन सर्वे और वन विभाग के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से महज तीन गांवों में आदिवासियों की 400 बीघे से अधिक जमीन पर दूसरों के नाम दर्ज करा दिए गए। कुछ लोग जिले के दूसरे हिस्से के रहने वाले हैं। कुछ ऐसे नाम हैं, जिनका नाता छत्तीसगढ़ के बाड़फनगर से है।

आदिवासी महिलाओं से शादी रचाकर जमीन हथियाने के मामले में चर्चित वधाडू गांव के एक बड़े क्षेत्र में सर्वे में गड़बड़ी कर मुस्लिम समाज के लोगों के नाम पर जमीन दर्ज कराने का मामला उजागर हो चुका है।

बभनी ब्लॉक के पूर्व प्रमुख गेंदा घसिया बताते हैं, ब्लॉक के देवहार पूर्वी, गोहड़ा और दुद्धी ब्लॉक के वधाडू में सर्वे के दौरान गड़बड़ी की गई थी। दुद्धी तहसील क्षेत्र के एक वनकर्मी और समुदाय विशेष के एक सर्वे कर्मी की मिलीभगत से ये गड़बाड़ियां हुईं। बधाडू में जहां आदिवासियों के कब्जे वाली जमीन गैर प्रांत के आदिवासियों का नाम पर दर्ज कर दी गई। गोहड़ा और देवहार पूर्वी में उस वन कर्मी ने सौ बीघे से अधिक जमीन अपने नाम पर दर्ज करा ली। लंबे समय तक मामला दबा रहा। करीब 15 वर्ष पूर्व जब जमीनों पर कब्जे की कोशिश शुरू हुई, तब पता चला कि गोहड़ा के 55, देवहार पूर्वी के 14 और बधाडू के कई आदिवासी काश्तकारों की जमीन सर्वे के समय रिकॉर्ड में दूसरे के नाम दर्ज हो गई है।गेंदा घसिया ने बताया कि इस संबंध में कई बार शिकायत की गई। प्रभावित काश्तकारों ने संबंधित राजस्व न्यायालयों में आपत्ति दर्ज कराई। मुख्यमंत्री कार्यालय से भी जांच के निर्देश दिए गए लेकिन अभी तक यह मसला अनसुलझा है।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुई जांच तो गड़बड़ी आई सामने

- भाजपा जिलाध्यक्ष की तरफ से 13 जून 2025 को सीएम योगी आदित्यनाथ को शिकायत सौंपी गई थी। बताया गया था कि गोहड़ा प्रधान और बधाडू निवासी छोटेलाल, सकलदेव, इन्द्रजीत गुप्ता आदि ने उन्हें बताया है, सर्वे कर्मचारी और एक वनकर्मी ने अधिकारियों को प्रभावित कर आदिवासियों की सैकड़ों बीघा जमीन पर अपना व संबंधित लोगों के नाम दर्ज करा लिए गए। डीएम को जांच के निर्देश दिए गए।
- डीएम के निर्देश पर एसडीएम दुद्धी ने तहसीलदार से जांच रिपोर्ट तलब की। सामने आया कि संबंधित वन कर्मी ने जहां सर्वे के समय गोहड़ा, देवहार पूर्वी में 100 बीघा से ऊपर जमीन अपने नाम दर्ज करा ली है। वहीं बधाडू में संबंधित जमीन बलरामपुर, छत्तीसगढ़ के रहने वाले समुदाय विशेष के दो सगे भाइयों के नाम दर्ज है। इन जमीनों को समुदाय विशेष के एक व्यक्ति की तरफ से अपने तीन बहुओं के नाम दर्ज करने की बात सामने आई। जांच में पाया गया कि संबंधित जमीनों पर नाम भले ही दूसरों के दर्ज हैं लेकिन कब्जा आदिवासी काश्तकारों का ही है। इसकी एक रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को भेजी गई है लेकिन अभी इस मसले का समाधान नहीं हो सका है।

ग्रामीण को बाघ ने मार डाला, खेत में मिला अधखाया शव

संपूर्णानगर (खीरी)। वन रेंज क्षेत्र के मंझरा पश्चिम गांव के प्रतापनगर में बाघ के हमले से चीमा फार्म निवासी प्रगट सिंह (50) पुत्र दर्शन सिंह की मौत हो गई। वह शुक्रवार देर शाम बाजार से घर लौट रहे थे। शनिवार सुबह उनका अधखाया शव गन्ने के खेत में मिला, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और वन विभाग के खिलाफ हंगामा शुरू हो गया। संवाद

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल, इटावा

अल्पकालीन जेम-निविदा सूचना दिनांक 07.03.2026

अल्पकालीन जेम-निविदा सं० एवं कार्य का संक्षिप्त विवरण

1- 43/Gem-EDCE/2025-26: विद्युत वितरण मण्डल, इटावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधीक्षण अभियन्ता के कार्यालय प्रयोग हेतु 01 अदृद डीजल चलित वाहन (कार) मय चालक बाह्य एजेंन्सी के माध्यम से मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।

2- 44/Gem-EDCE/2025-26 विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, इटावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधिशासी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय प्रयोग हेतु 04 अदृद डीजल चलित वाहन (जीप) मय चालक बाह्य एजेंन्सी के माध्यम से मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।

3- 45/Gem-EDCE/2025-26 : विद्युत वितरण खण्ड, इटावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधिशासी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय प्रयोग हेतु 05 अदृद डीजल चलित वाहन (जीप) मय चालक बाह्य एजेंन्सी के माध्यम से मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।

4- 46/Gem-EDCE/2025-26: विद्युत वितरण खण्ड, सैफई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधिशासी अभियन्ता एवं उपखण्ड अधिकारी के कार्यालय प्रयोग हेतु 04 अदृद डीजल चलित वाहन (जीप) मय चालक बाह्य एजेंन्सी के माध्यम से मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।

5- 47/Gem-EDCE/2025-26: विद्युत परीक्षण खण्ड, इटावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता (मीटर) के कार्यालय प्रयोग हेतु 04 अदृद डीजल चलित वाहन (जीप) मय चालक बाह्य एजेंन्सी के माध्यम से मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।

6- 48/Gem-EDCE/2025-26: विद्युत वितरण मण्डल, इटावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रभारी निरीक्षक प्रवर्तन दल, इटावा के कार्यालय प्रयोग हेतु 01 अदृद डीजल चलित वाहन (जीप) मय चालक बाह्य एजेंन्सी के माध्यम से मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।

7- 49/Gem-EDCE/2025-26 : विद्युत वितरण मण्डल, इटावा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रभारी निरीक्षक, एण्टी पॉवर थैफ्ट थाना, इकदिल, इटावा के कार्यालय प्रयोग हेतु 01 अदृद डीजल चलित वाहन (जीप) मय चालक बाह्य एजेंन्सी के माध्यम से मासिक किराये पर उपलब्ध कराये जाने का कार्य।

जेम-निविदा की अन्तिम तिथि: 21.03.2026 13:00 बजे

विस्तृत जानकारी एवं प्रपत्र वेबसाइट www.gem.gov.in पर उपलब्ध हैं। अशेतर समस्त सूचनाएँ वेवसाइट पर ही प्रदर्शित की जाएँगी।

"राष्ट्रहित में बिजली बचायें"

अधीक्षण अभियन्ता,
विद्युत वितरण मण्डल, इटावा

पत्रांक 513 वि०नि०ब०/ठ०/जेम-निविदा सिज्ञापन
दिनांक 07-03-2026

कार्यालय – सम्भागीय खाद्य नियंत्रक, कानपुर सम्भाग, कानपुर।

पत्रांक: 2940 / ख०खा०नि०/7-रबी/ऐई परियोजना हेण्डलिंग/2025-26 दिनांक 07 मार्च, 2026

ई-टेण्डर-नोटिस

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत उत्तर प्रदेश शासन, खाद्य तथा रसद अनुभाग-4 लखनऊ के पत्र संख्या-831/29-4-2023-385/19 दिनांक 25.07.2023 सपठित अपर आयुक्त (विपणन), खाद्य तथा रसद विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 3773 दिनांक 25.07.2023 के साथ संलग्न राज्य स्तरीय कमेटी दिनांक 10.07.2023 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त में परिवहन कार्य हेतु किये गये कतिपय संशोधनों के आलोक में अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० जवाहर भवन लखनऊ के पत्रांक 5471 दिनांक 29.12.2025 के साथ संलग्न शासन के पत्र संख्या-380/29-5-2025/ (ई-2000859) दिनांक 24.12.2025 द्वारा गेहूं क्रय हेतु समय-सारिणी के समयबद्ध अनुपालन तथा एम०टी०सी० से आच्छादित एस०एल०सी० द्वारा निर्गत एस०ओ०आर० एवं उसमें निर्दिष्ट व्यवस्थान्तर्गत तथा निर्धारित अर्हता, मानकों, शर्तों एवं उपबन्धों के अधीन कानपुर सम्भाग में खाद्य विभाग एवं क्रियाशील क्रय संस्थाओं के जिलाधिकारी से अनुमोदित गेहूं क्रय केन्द्रों (खाद्य विभाग के 05, पी०सी०एफ० के 90, पी०सी०यू० के 12 एवं भा०खा०नि० के 08 कुल 114 क्रय केन्द्रों पर तथा खाद्य विभाग के 22 मोबाइल क्रय केन्द्रों पर) रबी विपणन सत्र 2026-27 में गेहूं क्रय केन्द्रों से भारतीय खाद्य निगम के निर्दिष्ट डिपो तक परिवहन कार्य का अनुभव रखने वाले अनुभवी परिवहन ठेकेदारों को एम०टी०सी० के शर्तों के अनुसार तथा खाद्य विभाग के 10 क्रय केन्द्रों पर हैण्डलिंग कार्य हेतु विभगीय शर्तों के अधीन अर्ह/ इच्छुक व्यक्तियों/फर्मों से ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ठेकेदारों की नियुक्ति/चयन किये जाने किये जाने हेतु दिनांक 07.03.2026 से दिनांक 13.03.2026 को अपरान्ह 02:00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। प्राप्त ई-निविदायें दिनांक 13.03.2026 को अपरान्ह 04:00 बजे गठित निविदा समिति के द्वारा खोली जायेगी। परिवहन कार्य हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 590.00 तथा धरोहर धनराशि रू0 15000.00 प्रति केन्द्र निर्धारित की जाती है। परिवहन कार्य हेतु वैध एम०एस०एम०ई० धारित निविदादाता को निविदा शुल्क व धरोहर धनराशि में छूट अनुमन्य होगी। हैण्डलिंग कार्य हेतु निविदा प्रपत्र मूल्य रू० 590.00 तथा धरोहर धनराशि रू0 30,000.00 प्रति केन्द्र निर्धारित है। निर्धारित निविदा मूल्य व धरोहर धनराशि जो वरिष्ठ सम्भागीय लेखाधिकारी (खाद्य) कानपुर सम्भाग कानपुर के खाता नाम-E-tender fees खाता सं0-2139104000006897 IFSC CODE-IBKL0002139 IDBI BANK KAKADEV, KANPUR, U.P. में आर०टी०जी०एस०/ नेफ्ट के माध्यम से जमा किया जायेगा। बिड डाक्यूमेंट/अन्य सभी नियम एवं शर्तें ई-टेण्डर नोटिस के साथ संलग्न है जिसको http://etender.up.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। उपरोक्त परिवहन कार्य हेतु एस०एल०सी० द्वारा निर्गत एस०ओ०आर० दर तथा हैण्डलिंग कार्य हेतु भारत सरकार की कास्ट शीट से 10 प्रतिशत कम से अधिक कम की दर की निविदायें व्यवहारिक न होने के कारण स्वीकार नहीं की जायेगी। यदि कोई क्रय केन्द्र सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाता है तो वह केन्द्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा। यथा आवश्यकता सम्बन्धित मोबाइल क्रय केन्द्रों पर विभागीय नियमों व शर्तों के अधीन हैण्डलिंग कार्य भी दिया जा सकता है।

(राममूर्ति वर्मा), सम्भागीय खाद्य नियंत्रक
कानपुर सम्भाग, कानपुर ।

PROJECT IMPLEMENTATION UNIT (PIU)-USDMA
Uttarakhand Disaster Preparedness & Resilience Project (U-PREPARE)
5TH Floor, USDMA Building, 36, IT Park, Sahastradhara Road, DEHRADUN
Website: www.u-prepare.com, E-Mail procurement.uprepare@gmail.com

Ref. No.:269/A-25/RFB/SEOC/PIU-USDMA/U-PREPARE/2025-26 Date: 07/03/2026

NOTICE INVITING TENDER

The Government of India has received financing from the World Bank towards the cost of the UPREPARE and intends to apply part of the proceeds for following package of works. A complete set of bidding documents in English may be downloaded by interested eligible bidders from the website https://uktenders.gov.in which will be available from 11/03/2026.

S. No	Package No.	Name of Package	Method of Procurement
1	03/RFB/INTERIOR/ U-PREPARE/2025	Execution of Interior Work in SEOC and Conference Halls at USDMA Building, IT Park, Dehradun	Request for Bid (RFB)

Note:- 1. The corrigendum for the above packages will be uploaded on website www.uktenders.gov.in & www.u-prepare.com
2. Email id procurement.uprepare@gmail.com may be contacted for any information related to the quotations.

Program Director

बैंक ऑफ़ इंडिया

आंचलिक कार्यालय
128/24 ओम लक्ष्मी टॉवर, एच ब्लाक,
किदवई नगर, कानपुर– 208011,
दूरभाष: 0512–2985004

ई–नीलामी सूचना

बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जब्त किये एवं वाहनों का "जहां है जैसा है" के आधार पर निविदा द्वारा विक्रय किया जाना प्रस्तावित है:–

क्र. सं.	खातेदार का नाम / शाखा / देय राशि (लाख)	दृष्टि बंधक वाहन का विवरण	आरक्षित राशि (लाख में) ई.एम.डी. (लाख में) बोली वृद्धि राशि (लाख में)
1.	ऋणी: वशिष्ठ गुप्ता शाखा: रनिया शाखा देय राशि: 1,35,476.53 + ब्याज	वाहन पंजीकरण: UP78 GT 3807 मेक/मॉडल: Maruti Suzuki India Limited Super Carry STD चेसिस सं.: MA3EZLF1T00201154 इंजन सं.: G12BN950418 फ्यूल का प्रकार: Petrol	रू. 2,39,000.00 रू. 23,900.00 रू. 2,000.00
2.	ऋणी: दुष्यंत पाठक शाखा: रानिया शाखा देय राशि: 2,65,741.96 + ब्याज	वाहन पंजीकरण: UP78 JT 3460 मेक/मॉडल: Ape E City FX NE MAX Electric Auto Rickshaw चेसिस सं.: MBX0009TF2L357975 इंजन सं.: 2311S023327 फ्यूल का प्रकार: Electric	रू. 2,11,000.00 रू. 21,100.00 रू. 2,000.00

ई.एम.डी. जमा करने की दिनांक व समय 25.03.2026 समय शांय 04 बजे से पहले
ई–नीलामी की दिनांक व समय 25.03.2026 प्रातः 11 बजे से सांय 05.00 बजे

ई–नीलामी के नियम व शर्तें: 1. नीलामी बिक्री, वेबसाइट https://www.BAANKNET.com के माध्यम से ऑनलाइन इलेक्ट्रिानिक बिडिंग प्रक्रिया द्वारा की जायेगी। 2. बोलीकर्ताओं की सुविधा के लिए वेबसाइट https://www.BAANKNET.com में जाकर "Guidelines" देख सकते हैं। 3. बोली राशि आरक्षित मूल्य से अधिक होनी चाहिए। 4. सर्वाधिक/सफल बोलीकर्ता का विक्रय के सम्बन्ध में अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली स्वीकार करने के बाद बोली/क्रय मूल्य का 25 प्रतिशत के बराबर की राशि में पहले से जमा बयाना राशि घटाकर शेष बची राशि अगले कार्यदिवस में जमा कराना होगा। अन्यथा उसकी बयाना राशि जब्त कर ली जायेगी। 5. क्रयमूल्य के शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान अधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री कि पुष्टि करने के 15 दिन या उससे पहले अथवा बढ़ाई हुई अवधि के भीतर शेष राशि जमा नहीं करा पाने की दशा में जमा राशि को जब्त कर लिया जायेगा एवं अधिकृत अधिकारी बैंक नीलामी को रद्द कर नये सिरे से नीलामी करने हेतु स्वतंत्र होगे। 6. अधिकृत/सफल बोलीकर्ता की दशा में बयाना राशि को क्रय मूल्य में समायोजित कर दिया जायेगा एवं असफल बोलीकर्ताओं BAANKNET के द्वारा वापस कर दिया जायेगा। बयाना राशि पर किसी प्रकार का ब्याज देय नहीं होगा। 7. चल सम्पत्ति का 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है', 'जो कुछ भी है' एवं 'बिना किसी सहारे के आधार' पर बेचा जायेगा। इच्छुक बोलीकर्ताओं नीलामी में शामिल होने में पूर्ण सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का देय आदि के बारे में जानकारी स्वयं प्राप्त करें। 8. अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास स्व–विवेक से बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताये किसी भी बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा बिक्री को स्थगित करने/टालने रद्द करने अथवा बिक्री की नियम व शर्तों को संशोधित करने का सम्पूर्ण अधिकार है। 9. सम्पत्ति के क्रेता को सरकार को देय सभी वैधानिक देयक एवं सम्पत्ति से संबंधित सभी वर्तमान एवं भविष्य के कर, दर व देयक वहन करना होगा। 10. देय राशि ब्याज और अन्य शुल्कों को छोडकर है। 11. इस नीलामी से संबंधित किसी भी तरह का संशोधन/त्रुटि सुधार/सुधिपत्र भविष्य में अथवार के माध्यम से प्रकाशित नहीं किया जायेगा कृपया इच्छुक नियमित रूप से ऊपर दी गई वेबसाइट से संज्ञान लेवें। 12. इस नीलामी की प्रक्रिया बैंक ऑफ इण्डिया के कर्मचारी बोली नहीं लगा सकते है। 13. इच्छुक बोलीकर्ता को यूजर आई डी व पासवर्ड स्वयं बनाना है। जिसे बनाने में न्यूनतम 2 दिन का समय लगता है। अतः बोलीकर्ता से निवेदन है कि यूजर आई.डी. अतिम तिथि से पूर्व ही बना लें। 14. एक बोली लगाने वाला (बोलीकर्ता) होने की स्थिति में बोली फॉर्म में उद्धत बोली राशि में न्यूनतम एकबोली वृद्धि मूल्य की बढोत्री करनी होगी, अन्यथा विक्रय निरस्त/स्थगित किया जायेगा। 15. एकल बोलीदाता के मामले में प्राविकृत अधिकारी यह सुनिश्चित करें, उक्त बोलीदाता ने एक मूल्य उद्धत किया है जो आरक्षित मूल्य से अधिक है। इस शर्त का अधिसूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए।

दिनांक : 06.03.2026 स्थान: कानपुर प्राधिकृत अधिकारी: बैंक ऑफ इण्डिया

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर

पत्रांक: परि.प्र./ 11017–18/ 2025–26 दिनांक: 06.03.2026

कार्यालय आदेश

अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के द्वारा लगातार अनुपस्थित शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये थे। परन्तु दिनांक 07.03.2026 तक किसी शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारी का जबाव प्राप्त नहीं हुआ है। निम्न विवरणानुसार अन्तिम नोटिस दी जाती है।

क्र. सं.	शिक्षक का नाम	पदनाम	विद्यालय व विकास खण्ड का नाम	अनुपस्थित रहने का दिनांक
1.	जीनत फातिमा सिद्धकी	स.अ.	कम्पोजिट उ.प्रा.वि. खखुडा, वि.क्षे.–शिकारपुर	31.01.2020 से अद्यतन
2.	नमिता चौधरी	स.अ.	कम्पोजिट प्रा.वि. सीकरी नं.–02 वि.क्षे.–खुर्जा	2021 से अद्यतन
3.	कवल निर्मेश	स.अ.	उ.प्रा.वि. बिसाईच वि.क्षे.–गुलावठी	01.01.2020 से अद्यतन
4.	रामगोपाल शर्मा	स.अ.	उ.प्रा.वि. रूनसी (1–8) वि.क्षे. पहासू	10.03.2021 से अद्यतन
5.	पवन कुमार	स.अ.	प्रा.वि. भोपतपुर वि.क्षे.–पहासू	22.10.2019 से अद्यतन
6.	शिवानी चौधरी	स.अ.	उ.प्रा.वि. लोहलारा वि.क्षे.–अगौता	01.07.2017 से अद्यतन
7.	बीना वरूण	स.अ.	उ.प्रा.वि. महेशपुर वि.क्षे.–अगौता	01.01.2018 से अद्यतन
8.	कीर्ति सोनी	स.अ.	प्रा.वि. सतोहा वि.क्षे.–डिबाई	12.08.2021 से अद्यतन
9.	गौरव पाल सिंह	स.अ.	प्रा.वि. खानपुर नं.–01 वि.क्षे.–ऊंचागांव	मार्च 2020 से अद्यतन
10.	सुनिता	स.अ.	प्रा.वि.कलन्दरगढ़ी वि.क्षे.–खुर्जा	2015 से अद्यतन
11.	रामकुमार	अनुचर	उ.प्रा.वि. दिनौल वि.क्षे.–खुर्जा	2007 से अद्यतन
12.	अमित कुमार	अनुचर	सं.वि. बौरोली वि.क्षे.–खुर्जा	2013 से अद्यतन
13.	कृष्ण	चौकीदार	कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बुलन्दशहर	मई 2023 से अद्यतन

उपरोक्त शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अपनी अनुपस्थिति के संबंध में अन्तिम अवसर देते हुए निर्देशित किया जाता है कि एक सप्ताह में अनुपस्थिति के सम्बंध में स्पष्ट आख्या के साथ अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। एक सप्ताह के बाद प्राप्त अभिकथन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा उक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्त की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उपरोक्त शिक्षक/ शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का होगा।

(डॉ. लक्ष्मीकान्त पाण्डेय)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बुलन्दशहर।

रामभद्राचार्य मेरे संप्रदाय के नहीं, अपने संप्रदाय की बात करें

जौनपुर। गोप्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा पर निकले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शनिवार को जौनपुर पहुंचे। जनपद की सीमा में प्रवेश करते ही भक्तों ने उनका स्वागत किया। नईगंज स्थित एक परिसर में मीडिया से मुखातिब

शंकराचार्य ने जगद्गुरु रामभद्राचार्य पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब सर्वोच्च पद के शंकराचार्यों ने अभिषेक कर दिया, तो फिर किसी की क्या औकात कि वह मुझे न माने। वे हमारे संप्रदाय के नहीं हैं इसलिए उन्हें हमारे आंतरिक विषयों पर बोलने की जगह अपने संप्रदाय की बात करनी चाहिए। अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि गाय केवल हिंदुओं की नहीं बल्कि विश्व की माता है। इस यात्रा के जरिये वे असली और नकली सनातनियों के बीच एक लकीर खींचना चाहते हैं ताकि स्पष्ट हो सके कि कौन वास्तव में गोसेवा और धर्म के साथ खड़ा है। यह यात्रा 11 मार्च को लखनऊ पहुंचेगी। जब तक भारत में गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लग जाता और गो माता को राष्ट्रमाता का सम्मान नहीं मिल जाता, तब तक यह आंदोलन नहीं थमेगा। इससे पहले वाराणसी में अविमुक्तेश्वरानंद ने शनिवार से गो-प्रतिष्ठा धर्मयुद्ध यात्रा की शुरुआत कर दी। सुबह उन्होंने केदारघाट पर गंगा पूजन किया। इसके बाद गोशाला गए और वहां गाय पूजन किया।दर्शन के बाद संकटमोचन मंदिर गए। शंकराचार्य की यात्रा में लखनऊ चलो, लखनऊ चलो, जिंदा हिंदू लखनऊ चलो के पंफलेट भी वितरित किए गए। ब्यूरो

एसडीएम को पालतू कुत्ते ने काटा, हाथों में घाव छुट्टी का पत्र वायरल

बैरिया (बलिया)। उप जिलाधिकारी बैरिया आलोक प्रताप सिंह को पालतू कुत्ते ने काट लिया। दोनों हाथों में जख्म होने से वह हस्ताक्षर तक नहीं कर पा रहे। उन्होंने इलाज कराने के लिए जिलाधिकारी को छुट्टी के लिए पत्र भेजा था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्र पर उनके अंगूठे का निशान था। वायरल पत्र पांच मार्च का बताया जा रहा है। आलोक प्रताप ने छह से 13 मार्च तक छुट्टी मांगी थी।होली से एक दिन पहले एसडीएम आलोक के माता-पिता उनसे मिलने उनके आवास पर आए थे। उसी दौरान पालतू कुत्ते ने पिता पर हमला कर दिया था। पिता को बचाने में कुत्ते ने एसडीएम को काट लिया, जिसमें उनके दोनों हाथ जख्मी हो गए। एडीएम अनिल कुमार ने बताया कि वर्तमान में एसआईआर का काम चल रहा है। ऐसे में एसडीएम का अवकाश पत्र निर्वाचन आयोग को भेजा गया है। संवाद

कार्यालय नगर पालिका परिषद, चित्रकूटधाम, जनपद-चित्रकूट

पत्र संख्या- 3471 / अल्पकालीन निविदा/2025-26 दिनांक 07 मार्च, 2026

अल्पकालीन निविदा सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग/पालिका निधि से कराये जाने वाले कार्य हेतु ऑफलाइन मोहरबन्द निविदाएं दिनांक 17.03.2026 को अपरान्ह 02.00 बजे तक नगर पालिका कार्यालय में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिनांक को 03:00 बजे उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष नगर पालिका कार्यालय में खोली जायेगी। निविदा प्रपत्रों की बिक्री दिनांक 17.03.2026 को प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 01:00 बजे तक कार्यालय में निर्माण लिपिक से निर्धारित समय में प्राप्त की जा सकती है। निविदाओं के साथ ठेकेदारों को 02 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि की एन०एस०सी०/एफ०डी०आर०/ सी०डी०आर०/ नगद के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, जो "अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद चित्रकूटधाम" के पदनाम बन्धक होगी। निविदादाता को प्रत्येक निविदा के साथ 100 रू० के स्टाम्प पेपर पर 01 रू0 का रसीदी टिकट लगाकर हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्य आवश्यक जानकारी नगर पालिका कार्यालय से कार्य दिवस में कभी भी प्राप्त की जा सकती है।

कार्यों का विवरण

क्र० सं०	कार्य का नाम	आगणन धनराशि जी०एस०टी० रहित (लाख रू०)	धरोहर धनराशि 02 प्रतिशत	टेण्डर फार्म की कीमत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	सी०एम०ओ० ऑफिस के सामने नाली मरम्मत का कार्य।	1.45	2900.00	500.00	2 माह
2	नगर के मुख्य मार्ग एवं परिक्रमा मार्ग स्थित सार्वजनिक शौचालय पर साइनेज लगाने का कार्य ।	8.45	16900.00	500.00	2 माह
3	रामबाग अखाडे में इण्टरलाकिंग का कार्य।	5.57	11140.00	500.00	2 माह
4	डिलौरा स्थित गौशाला में बनी चरनिया की मरम्मत का कार्य।	2.92	5840.00	500.00	2 माह

नोट- 1. सशर्त निविदाएं स्वीकार नही की जायेगीं।
2. निविदा स्वीकृति के उपरान्त अनुबन्ध के पूर्व 8 प्रतिशत जमानत धनराशि एन०एस०सी०/एफ०डी०आर० आदि के रूप में जमा कराकर अनुबन्ध कराना होगा। उक्त जमानत धनाराशि ठेकेदार के अनुरोध पर उसके कार्य के बिल में भी समायोजित की जा सकेगी।
3. निविदा तथा कार्य से सम्बन्धित अन्य नियम एवं शर्तें किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
4. निविदा स्वीकृति / निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को निहित होगा।
5. कार्य एवं निविदा से सम्बन्धित अन्य नियम व शर्तें उपरोक्तानुसार किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
6. फर्म/ठेकेदार को नियमानुसार सम्पूर्ण कार्य के परीक्षणोपरान्त ही भुगतान देय होगा।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
चित्रकूटधाम

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
चित्रकूटधाम

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, इटावा

दुकान आवंटन सूचना

कृपया निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-विपणन-3/दु०आ०नियम० / 2016-2775 दिनांक 29.07.2016 एवं पत्रांक-215 दिनांक-06.06.2022 के प्रस्तावी नियम-4 (ध) के (ग) प्रस्तर क व ख की पात्रता पूर्ण करने वाले लाइसेंसी व्यापारियों / इच्छुक व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि नवीन मण्डी स्थल इटावा के फल/सब्जी एवं गल्ला खण्ड में वर्तमान में रिक्त 12 नग दुकाने ब श्रेणी, 1 नग दुकान ब श्रेणी, 1 नग गददी एवं 1 नग गोदाम कुल-15 नग का नीलामी पद्धति से रिक्त दुकानो/गोदाम एवं गद्दी का आवंटन किया जायेगा। सम्भागीय उपनिदेशक (प्रशा०/विप०), राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, कानपुर द्वारा दिनांक-27.03.2026 को दुकान आवंटन हेतु तिथि निर्धारित की है। जिसके सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित रोस्टर के अनुरूप रिक्त दुकानो/गद्दी गोदाम से सम्बन्धित आरक्षण सहित अन्य विवरण निम्न प्रकार है:-

गल्ला खण्ड

क्रम	दुकान की श्रेणी	रिक्त दुकानो की संख्या	आरक्षण की स्थिति						
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित वर्ग	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग	विकलांग	निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम का 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क (रू०में)
1	अ	-	-	-	-	-	-	-	
2	ब	20	-	-	-	-	20	-	97830.00
3	स	13,32,38	-	-	-	13,32,38 (इच्छुक व्यक्ति)	-	-	70353.00
4	गद्दी	27	-	-	27		-	-	70305.00
5	गोदाम	07	-	-	07	-	-	-	70353.00

फल/सब्जी

क्रम	दुकान की श्रेणी	रिक्त दुकानो की संख्या	आरक्षण की स्थिति						
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनारक्षित वर्ग	आर्थिक रूप कमजोर वर्ग	विकलांग	निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम का 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क (रू०में)
1	अ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ब	-	-	-	-	-	-	-	-
3	स	09,13,15, 20,25, 29, 31,37, 39	15,25,31 (इच्छुक व्यक्ति)	-	09,13,37, 29 (इच्छुक व्यक्ति) 39 (इच्छुक व्यक्ति)	-	20 (इच्छुक व्यक्ति)	-	70353.00
4	गद्दी	-	-	-	-	-	-	-	-
5	गोदाम	-	-	-	-	-	-	-	-

उपरोक्त दुकानो/गोदाम व गद्दी के आवंटन मे प्रतिभाग करने हेतु रू0 250.00+18 प्रतिशत जी०एस०टी० रू0 45.00, कुल धनराशि रू0 295.00 नकद अथवा ऑनलाइन भुगतान करके कृषि उत्पादन मण्डी समिति, इटावा के दिनांक-08.03.2026 से आवेदन पत्र प्राप्त कर निर्धारित दुकान आवंटन की शर्तों के अधीन पूर्ण सूचना सहित आवेदन पत्र के साथ सम्बन्धित सम्पत्ति के साथ न्यूनतम प्रीमियम धनराशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण शुल्क की बैकर्